

बिहार सरकार  
वित्त (अंकेक्षण) विभाग

पत्रांक 489  
अं० स्था० (11)-04/2018

/वि, अं०, पटना, दिनांक- 7/9/018

प्रेषक,

मुख्य लेखा नियंत्रक,  
वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्रीमति रश्मि रेखा,  
सिस्टम एनालिस्ट,  
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय:

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर अंकेक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व एवं वांछित प्रमाण पत्रों की जाँच एवं सत्यापन से संबंधित पत्र/कार्यक्रम एवं विहित प्रपत्र वित्त विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर अंकेक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व एवं वांछित प्रमाण पत्रों की जाँच एवं सत्यापन से संबंधित पत्र/कार्यक्रम एवं विहित प्रपत्र संलग्न कर उपलब्ध कराते हुये कहना है कि इसे वित्त विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

मुख्य लेखा नियंत्रक  
वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना।



बिहार सरकार  
वित्त (अंकेक्षण) विभाग  
बिहार, पटना

पत्रांक 491 / वि०अ०,पटना, दिनांक 7/9/18  
अं०स्था० (11)-04 / 2018

सेवा में,

नाम-..... (अनुक्रमांक.....)

पिता का नाम-.....

ग्राम/मोहल्ला-.....

पिन कोड -.....

जिला ..... (बिहार)

विषय - अंकेक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थित्व एवं वांछित प्रमाण पत्रों की जाँच एवं सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना के द्वारा विज्ञापन सं०-07070114, द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 के आधार पर अंकेक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा के आलोक में अभ्यर्थित्व एवं वांछित प्रमाण पत्रों की जाँच एवं सत्यापन हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, वीरचन्द पटेल पथ (आयकर गोलम्बर) के पास) पटना - 800001 के कार्यालय में दिनांक- ..... को 11:00 बजे अपराहन में निम्नांकित प्रमाण पत्रों / अभिलेख के साथ उपस्थित हों। इस संबंध में विस्तृत सूचना वित्त विभाग के वेबसाईट [www.finance.bih.nic.in](http://www.finance.bih.nic.in) पर उपलब्ध है।

1. मैट्रिक, इन्टरमीडिएट एवं स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
2. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, जो आवेदन पत्र के/में साथ संलग्न/अंकित किया गया हो।
3. अगर अभ्यर्थी पूर्व से किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय में कार्यरत हों तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C.)।

4. सक्षम प्राधिकार (बिहार राज्य के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम अंचल अधिकारी तथा अन्य राज्य के अभ्यर्थी के लिये (अनुमंडल पदाधिकारी या जिलाधिकारी) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के SC/ST अभ्यर्थियों के लिए)।
5. बिहार राज्य सरकार की सेवाओं के निमित्त जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र (BC/MBC/WBC अभ्यर्थियों के लिए)।
6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।
7. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र।
8. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
9. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र 02 (दो) प्रतियों में। विहित प्रपत्र वित्त विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
10. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ पत्र कि " सभी प्रमाण पत्र सही है तथा उनके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केश दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है तथा पूर्व में किसी फौजदारी मामले में सजा नहीं हुई है। उक्त शपथ पत्र का विहित प्रपत्र वित्त विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. पासपोर्ट साईज का अभ्यर्थी का नाम 05 (पाँच) नवीनतम कलर फोटो।
12. कोई फोटोयुक्त दस्तावेज जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित कर सकें (यथा-आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि)।

ज्ञातव्य है कि अभ्यर्थित्व एवं वांछित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के जाँच एवं सत्यापन हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों/अभिलेख की मूल प्रति एवं स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति (दो-दो प्रतियों) के साथ अभ्यर्थित्व की जाँच एवं वांछित प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु निश्चित रूप से निर्धारित तिथि/स्थान/समय पर उपस्थित हो अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि अनुशासित पद पर योगदान देने हेतु आप इच्छुक नहीं है तथा आपके अभ्यर्थिता के विरुद्ध विधि सम्मत निर्णय ले लिये जायेंगे।



(साँवर भारती)

मुख्य लेखा नियंत्रक, बिहार, पटना।



बिहार सरकार  
वित्त (अंकेक्षण) विभाग  
बिहार, पटना

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना के विज्ञापन सं०-07070114, द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 के आधार पर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत अंकेक्षण के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक, अन्य वाछिंत प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा उनके चरित्र एवं पूर्ववत के सत्यापन हेतु विहित सत्यापन प्रपत्र में ब्यौरा तथा शपथ पत्र प्राप्त करने का कार्य निम्नरूपेण कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा :-

सत्यापन की तिथि, समय एवं स्थान	अनुक्रमांक					
	17.09.2018 (11:00 AM to 4:00 PM) कार्यालय, मुख्य लेखा नियंत्रक, बिहार, पटना	105264	111166	102480	107575	114713
	115436	108796	111479	108065	100518	115685
	112579	109555	112741	113980	109899	111276
	108187	106952	100360	116785	107744	107070
	110364				कुल -25	
18.09.2018 (11:00 AM to 4:00 PM) कार्यालय, मुख्य लेखा नियंत्रक, बिहार, पटना	110292	103560	116531	104346	113137	101047
	111756	114962	108677	100644	101268	106519
	105616	101445	103501	109069	114685	102774
	101137	110525	112705	101590	100948	102209
	108186				कुल -25	
19.09.2018 (11:00 AM to 4:00 PM) कार्यालय, मुख्य लेखा नियंत्रक, बिहार, पटना	113538	104881	102923	104469	100309	106101
	112621	109720	106073	116369	113226	116148
	105524	112141	113004	103989	109502	116730
	102947	108877	111865	109358	104298	101924
	112593				कुल -25	
20.09.2018 (11:00 AM to 4:00 PM) कार्यालय, मुख्य लेखा नियंत्रक, बिहार, पटना	101127	114024	100792	105790	108102	114848
	102957	113823	104456	112957	117337	111569
	100741	104580	116797	108920	112882	106356
	111420	111573	102350	114492	105302	111954
	106383				कुल -25	
24.09.2018 (11:00 AM to 4:00 PM) कार्यालय, मुख्य लेखा नियंत्रक, बिहार, पटना	101288	108324	102119	116414	111602	106361
	105060	116246	116175	100319	116213	110172
	114933	116728	115744	106490	114699	117289
	106863	115451	101007	115784	108363	112106
	109830	113729	100823	110834	116776	
					कुल -29	

प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छाया प्रतियों कि दो-दो स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अनिवार्य रूप से लाये :-

1. मैट्रिक, इन्टरमीडिएट एवं स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
2. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, जो आवेदन पत्र के/में साथ संलग्न/अंकित किया गया हो।

3. अगर अभ्यर्थी पूर्व से किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय में कार्यरत हों तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C.)।
4. सक्षम प्राधिकार (बिहार राज्य के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम अंचल अधिकारी तथा अन्य राज्य के अभ्यर्थी के लिये (अनुमंडल पदाधिकारी या जिलाधिकारी) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के SC/ST अभ्यर्थियों के लिए)।
5. बिहार राज्य सरकार की सेवाओं के निमित्त जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र (BC/MBC/WBC अभ्यर्थियों के लिए)।
6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।
7. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र।
8. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
9. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र 02 (दो) प्रतियों में। विहित प्रपत्र वित्त विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
10. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ पत्र कि " सभी प्रमाण पत्र सही है तथा उनके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केश दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है तथा पूर्व में किसी फौजदारी मामले में सजा नहीं हुई है। उक्त शपथ पत्र का विहित प्रपत्र वित्त विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. पासपोर्ट साईज का अभ्यर्थी का नाम 05 (पाँच) नवीनतम कलर फोटो।
12. कोई फोटोयुक्त दस्तावेज जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित कर सकें (यथा-आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि)।  
प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जाँच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

  
(साँवर भारती)

मुख्य लेखा नियंत्रक, बिहार, पटना।

## सत्यापन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की एक  
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति

यहाँ चिपकाएँ

### चेतावनी

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष-मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।
3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वामाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

---

1.	उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा	कुलनाम
	कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें)	नाम

---

2. वर्तमान पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०,  
गली/ स्ट्रीट/ सड़क तथा शहर

---

3. (क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान  
नं०, गली/ स्ट्रीट/ सड़क व शहर और जिला मुख्यालय का नाम  
(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश (पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का  
निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने  
की तारीख का उल्लेख करें।

4. गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें (आवास-अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।